

एस.सी.एस.पी. और टी.एस.पी.

अनुसूचित जाति उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) और जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.): विभाग के आबंटित बजटों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 16.20% और 8.00% अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आबंटित किए जाते हैं।